कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 10 / 7800-26 दिनांक : 28 मई, 2010

यातायात नियंत्रण बोर्ड की द्वितीय बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 05.05.2010 को अपरान्ह 02.00 बजे श्री रवि जैन आई.ए.एस. आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में यातायात नियंत्रण बोर्ड की द्वितीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ठ अ पर संलग्न है।

सदस्य सचिव ने उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए एजेण्डा आईटम प्रस्तुतीकरण किया।

एजेण्डा आईटम संख्या 1	::	गत कार्यवाही विवरण में दिये गये निर्देशों की अनुपालना।

सर्व सम्मति से प्रथम बैठक दिनांक 04.12.2009 में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम संख्या 2	::	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय एवं मोटर ड्राईविंग स्कूल हेतु भूमि आवंटन।

बैठक में सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि परिवहन विभाग को भूमि आवंटन हेतु जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर को निवेदन किया गया है।

एजेण्डा आईटम संख्या 3	::	जोधपुर बाईपास (पाली, पाल, सांगरिया, चौपासनी रोड सड़क का निर्माण)

बैठक में उपस्थित 45, सीमा सडक कृतिक बल (ग्रेफ) अधिकारी ने अवगत करवाया कि जयपुर – जैसलमेर बाईपास पर पुल के निर्माण हेतु रेल्वे को एक वर्ष पहले डिजाईन बनाकर अनुमोदन हेतु जयपुर कार्यालय में भिजवाया गया था जिसे बार–बार आपत्ति लगाकर भिजवाया जाता है जिसकी पूर्ति कर पुनः भिजवाया हुआ है। प्लान की लागत 6 करोड रुपये है एवं ओवरब्रिज की लम्बाई 333 मीटर है। यह भी अवगत करवाया कि स्पेशल स्ट्रक्चर पार्ट पूर्ण है सुपर स्ट्रक्चर पार्ट का कार्य करवाना है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मानचित्र स्वीकृति जयपुर में किस स्टेज पर लम्बित है, इस संबंध में एक नोट बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

एजेण्डा आईटम संख्या 4	::	भदवासिया आर.ओ.बी. निर्माण हेतु जिला प्रशासन की अनापत्ति एवं रेलवे विभाग द्वारा जी.ए.डी. की स्वीकृति।

ईस संबंध में रेलवे को जी.ए.डी. की स्वीकृति हेतु व्यक्तिशः सम्पर्क कर स्मरण करवाया जाये तथा जिला कलक्टर महोदय से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु भी सम्पर्क किया जावे।

एजेण्डा आईटम संख्या 5	::	सड़कों की वर्तमान स्थिति एवं चौपासनी रोड़ पर लीकेज को रोकने पर चर्चा।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

19

निदेशक अभियान्त्रिकी ने अवगत करवाया कि चौपासनी रोड पर निकलने वाले पानी को कैनाल में डालने हेतु संशोधित स्वीकृति हेतु अध्यक्ष महोदय को प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने जवाई नहर के उपयोग में नही आने के कारण उसको ढकने हेतु कहा जिसमें जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी के अधिकारी ने अवगत करवाया कि जवाई नहर का वैसे तो अभी कोई उपयोग नहीं हो रहा है लेकिन इसमें नहर में तीन पाईप लाईनों का कोरीडोर है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अगर नहर का उपयोग नही हो रहा है और उसमें पाईप लाईने लगी हुई भी है तो नहर को ढक कर अन्य कार्य में लिया जा सकता है जिससे भविष्य में होने वाले अतिक्रमणों को भी रोका जा सकता है। इस हेतु अग्रिम कार्यवाही हेतु निदेशक–अभियान्त्रिक को निर्देश प्रदान किये।

एजेण्डा आईटम संख्या 6 : जोधपुर शहर को पोल लेस सिटी बनाने के संबंध में चर्चा।

अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बताया कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा इस हेतु 163.00 करोड रूपये की विस्तृत कार्य योजना (ए.पी.डी आर.पी.) बनायी जा रही है। अध्यक्ष महोदय ने कार्य योजना की प्रति भेजे जाने के निर्देश दिये।

एजेण्डा आईटम संख्या 7 : जोधपुर शहर में ट्रैफिक सिग्नल लाईटों की वर्तमान स्थिति तथा चौराहा पर नई ट्राफिक सिंग्नल लाईटे लगाने पर चर्चा।

बैठक में अवगत करवाया कि पांच स्थानों पर लाईट्स लगी हुई है लेकिन चल नहीं रही है। केवल मात्र नई सडक एवं सोजती गेट पर काम में आ रही है। नई सडक स्थित ट्राफिक लाईट्स का निरन्तर समुचित एवं व्यवस्थित उपयोग हो रहा है लेकिन सोजती गेट पर स्थित ट्राफिक लाईट का नई सड़क स्थित ट्रेफिक लाईट से सिंक्रोनाईजेशन नहीं होने से काम में नही आ रही है। अध्यक्ष महोदय ने नई सडक एवं सोजती गेट पर स्थित ट्राफिक लाईट्स का सिंक्रोनाईजेशन किये जाने के निर्देश अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर को दिये।

पावटा चौराहे पर स्थित ट्राफिक लाईट्स पर विचार विमर्श के दौरान अवगत करवाया कि इस लाईट का उपयोग तीन–चार माह से नहीं होने के कारण इसकी मेमोरी उड गयी है इसलिए इनको पुन: चैक कर दो–तीन दिवस में पुन: मैमोरी डलवा दी जायेगी। शास्त्री नगर पुलिस थाने के सामने स्थित ट्राफिक लाईट्स को भी पुन: जांच कर उपयोग में लिया जाये। बैठक में यह भी अवगत करवाया गया कि शनिश्चर जी का थान पर ट्राफिक लाईट्स लगी हुई है। लेकिन काम में नहीं आ रही है। वहां पर स्थान की कमी के कारण यातायात के दबाव से अधिक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

इस संबंध में चर्चा के दौरान महापौर महोदय ने अवगत करवाया कि शनिश्चर जी का थान एवं उम्मेद अस्पताल की दीवार के बीच मार्ग उपलब्ध है। आवासीय कॉलोनी में कोई व्यवधान यथा आवास इत्यादि हो तो उनको हटाकर इस सडक को मुख्य सडक से मिलान करने पर समानान्तर सड़क सुविधा उपलब्ध होने से यातायात का दबाव उम्मेद अस्पताल पर कम किया जा सकता है। उम्मेद अस्पताल के अगर कोई आवास हटाये जाते है तो अन्य आवासों पर एक–दो मंजिल बनाकर क्षतिपूर्ति की जा सकती है।

एजेण्डा आईटम संख्या 8 : प्राईवट संविदा वाहन व स्टेज कैरिज वाहनों के स्टेण्ड व शहर में आने–जाने वाले रास्तों के बारे में चर्चा।

एजेण्डा आईटम : शहर में भारी वाहनो के प्रवेश हेतु मार्ग व समय निर्धारण तथा भीतरी

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

संख्या 9 शहर में वाहनों के नो एन्ट्री प्रावधानों के संबंध में चर्चा।

अध्यक्ष महोदय ने रिक्तिया भैरूजी चौराहा एवं पावटा बी रोड़ पर लाईनिंग का कार्य निदेशक अभियांत्रिकी को सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहायता से तुरन्त करवाने के निर्देश प्रदान किये। साथ ही अध्यक्ष महोदय ने नई कौन कौन–सी ट्राफिक लाईट्स लगाई जा सकती है इसकी सम्भावनाओं की जानकारी कर कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

बैठक में अवगत करवाया कि भारी वाहनो के आवागमन को समस्त चैक पोस्टों पर गुजरने वाले वाहनों को रोका जाता है केवल मण्डी में खाली होने वाले माल के वाहनों को ही आने दिया जाता है, रात्रि में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध नहीं है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने रात्रि में वे भारी वाहन जिनका गंतव्य स्थान जोधपुर शहर नहीं है का शहर में आवागमन रोकने के निर्देश प्रदान किये।

बैठक में यह भी अवगत करवाया गया कि शहर मे यात्री वाहनों अर्थात् बसों का आवागमन रहता है। निजी यात्री वाहनों के बुकिंग कार्यालय शहर में दो–तीन पृथक–पृथक स्थानों पर है जिससे सवारियां लेने हेतु बसों का शहर में आवागमन रहता है।

महापौर महोदय ने बैठक में अवगत करवाया कि जोधपुर शहर के आस–पास स्थित छोटे–बड़े कस्बों/गांवों हेतु प्राईवेट बसों के स्टॉप पावटा से मण्डोर रोड़ पर निरन्तर होने के कारण मार्ग अवरूद्व होता है। इस कारण अव्यवस्था प्रतिदिन होती है। उन्होंने यह भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस अव्यवस्था के निराकरण हेतु निर्देश प्रदान किये है।

इस संबंध में बैठक मे अवगत करवाया कि प्राईवेट बसों के संचालन की उम्मेद स्टेडियम ग्राउण्ड के पास से हटाने पर कल्याण सिंह कालवी प्याऊ के पास व्यवस्था की गई थी लेकिन बस ऑपरेटर्स उसका उपयोग वहां पर सवारियां के सुगमता से नहीं पहुचने के कारण नहीं कर रहे है एवम् पावटा क्षेत्र से ही बसों का संचालन कर रहे हैं।

महापौर महोदय ने इस संबंध में अवगत करवाया कि भगत की कोठी पर सेना के ड्रम इत्यादि को रेल में चढ़ाने उतारने हेतु निगम की भूमि सेना को मौखिक निर्देशानुसार दी गई थी। यह भी प्रस्ताव किया कि भगत की कोठी स्थित भूमि को निगम सेना को सुपुर्द करदे एवं इसके एवज में रसाला रोड़ पर वन विभाग की भूमि सेना को सुपुर्द की गई थी उसमे से कुछ भूमि निगम को हस्तान्तरित करे अथवा उपयोग हेतु अनुमति दिये जाने से वहां से प्राईवेट बसों का संचालन किया जा सकता है जिससे प्राईवेट बसों का पावटा चौराहे पर आवागमन रूक जायेगा इससे समस्या का काफी निदान हो सकता है।

इस संबंध में बैठक में चर्चा के दौरान उपस्थित अधिकारियो ने अवगत करवाया कि इस हेतु काजरी परिसर के समीप वीडियो कोचेज बसों के संचालन हेतु व्यवस्था की गई थी लेकिन संचालन कर्ता उपयोग में नही ले रहे है क्योकि शहर में इनके बुकिंग ऑफिस विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश प्रदान किये कि इनके बुकिंग ऑफिस शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थित है उनका उपयोग केवल मात्र बुकिंग के लिए ही किया जावे तथा सवारियों को लेने हेतु कोई भी वीडियो कोच बस शहर में इनके कही भी स्थित बुकिंग कार्यालयो पर सवारियों को लेने हेतु आवागमन नही करे।

अध्यक्ष महोदय ने वन–वे ट्राफिक व्यवस्था किन–किन स्थानों पर की जा सकती है इसकी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

193

पावटा चौराहे पर यातायात के दबाव को कम करने के परिपेक्ष्य में विचार–विमर्श के दौरान सडक पर स्थित बिजली की लाईनों व पोल को हटाने पर 42 लाख रूपये का तकमीना प्रस्तुत किया गया था जिसमें 14.00 – 14.00 लाख रूपये कृषि उपज मण्डी, जोधपुर विकास प्राधिकरण व विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का अंशदान था। कृषि मण्डी यह राशि तुरन्त उपलब्ध करवा देगी।

पावटा चौराहे पर स्थित किसान भवन के बाहर सडक पर फुटपाथ बनाये जाने के कारण मोड़ पर यातायात में बाधा उत्पन्न होती है इस हेतु किसान भवन को कम किया जाकर मोड़ पर स्लीप लेन बनवाने की सहमति अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी पावटा ने दी। विचार विमर्श के दौरान पावटा चौराहे से सब्जी मण्डी तक ठेले खड़े होने के कारण सुगम आवागमन हेतु मार्ग में व्यवधान के निपटारे हेतु चर्चा भी की गई।

निर्णय लिया गया कि समस्त ठेलो को रसाला रोड़ ओवर ब्रिज के नीचे खड़े रहने की व्यवस्था की जावे तथा सड़को पर ठेलों का खडा करना पूर्ण रूप से निषेध किया जावे। इस हेतु महापौर महोदय ने ठेला यूनियन से उनके द्वारा विचार विमर्श की बात कही।

यातायात सुविधा की दृष्टि से मेजर शैतान सिह चौराहा छोटा करने की आवश्यकता बतायी गयी। ट्राफिक सिग्नल की अवधि में बड़े वाहनों का आवागमन व्यवस्थित नहीं हो पाता है। मेजर शैतानसिंह सर्कल को छोटा करने पर ही समुचित यातायात प्रबंधन होगा।

महापौर महोदय ने पावटा सर्कल के यातायात दबाव को कम करने की दिशा में सुझाव दिया कि दर्पण सिनेमा से महामन्दिर की ओर जाने वाले ट्राफिक को स्टेडियम के पास से होते हुए उदय मन्दिर एवं तेजा मंदिर से नागौरी गेट होते हुए महामन्दिर पर निकाला जा सकता है इस हेतु शिप हाउस रोड को चौड़ा एवं दुरस्त करवाना पड़ेगा।

निदेशक अभियांत्रिकी ने अवगत करवाया कि शिप हाउस रोड़ पर नाला निर्माण का कार्य प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है तत्पश्चात् सडक कार्य करवाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय ने इस कार्य को तुरन्त करवाने के निर्देश प्रदान किये जिस पर निदेशक अभियान्त्रिकी ने दो माह मे यह कार्य सम्पन्न करवाने का आश्वासन दिया।

महापौर महोदय ने बताया कि जालोरी गेट से तकिया चांदशाह, सोजती गेट से नई सड़क जाने वाली सडक को भी चौड़ा एवं ठीक करवाया जाये तो सोजती गेट पर यातायात दबाव कम किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय ने इस कार्य को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र कराने के निर्देश प्रदान किये। इसी परिपेक्ष्य में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश प्रदान किये कि जालोरी गेट स्थित नाले को कवर किया जाकर वहां पर पार्किंग व्यवस्था की जाये।

उपरोक्त समग्र विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि :–

1. पावटा चौराहे पर वन–वे व्यवस्था प्रारम्भ की जावे।
2. ट्राफिक लाईट्स को कार्योपयोगी की जावे तथा उनका सुचारू संचालन किया जावे।
3. पावटा चौराहा–शैतान सिह सर्कल को समुचित एवं सक्षम स्तर पर वार्ता के पश्चात् छोटा किया जावें।
4. पावटा चौराहे पर स्थित समस्त अतिक्रमण हटाये जाये।
5. पावटा चौराहे से राईका बाग बस स्टेण्ड मार्ग से समस्त अतिक्रमण हटाये जायें।
6. सब्जी मण्डी पावटा के बाहर खडे ठेलों को रसाला ओवर ब्रिज के नीचे खडा करने की व्यवस्था की जावे।
7. प्राईवेट संविदा वाहनों का पावटा सर्किल से आवागमन निषेध किया जावे।
8. रसाला ब्रिज के नीचे पुल की दीवार के समानान्तर पार्किंग की व्यवस्था की जावे।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

9. विडियो कोच का पावटा सर्किल तथा शहर के मध्य से आवागमन निषेध किया जावे।
10. सोजती गेट से पिछे वाली सड़क को दुरूस्त एवं चौड़ा किया जावे।
11. शिप हाउस रोड़ को चौड़ा किया जाकर सड़क को उपयोगी बनाया जावे।
12. जहां–जहां सी.सी. कैमरे लगाये गये उनके सही उपयोग हेतु वहां पर एक–एक मीटर की दूरी से 2–3 स्पीड ब्रेकर लगाये जाये जिससे वाहन संख्या, चालक एवं पास बैठे व्यक्ति का फोटो लिया जा सके।
13. मल्टी स्टोरी पार्किंग की कार्य योजना बनायी जावे।
14. पैदल पुल की संभावना का परीक्षण कर कार्य योजना बनायी जावें।
15. राईकाबाग बस स्टेण्ड पर प्री–पेड बुकिंग व्यवस्था प्रभावी की जावे।
16. वाहनों की संयुक्त जांच परिवहन एवं पुलिस/यातायात पुलिस द्वारा की जावे।
17. रोटरी चौराहा व रिक्तिया भैरूजी चौराहा के मध्य स्थित खतरनाक पुलिया पर सड़क से गर्डर की ऊँचाई 3.70 मीटर है जबकि रेल्वे द्वारा पुलिया के दोनों ओर लगे हुई हाईट बेरियर क्रमशः 3.75 व 4.05 मीटर ऊँचाई पर है। ऐसी स्थिति में हाईट बेरियर से निकल सकने वाले वाहन पुलिया के नीचे फस जाते है जिससे पुलिया क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। अतः उक्त हाईट बेरियर 3.55 मीटर हाईट निकल सकने योग्य ऊँचाई के किये जावे ताकि पुलिया क्षतिग्रस्त नहीं हो।

खतरनाक पुलिया पर पूर्व में भारी वाहनों के निकलने से कई बार ट्रेफिक जाम की स्थिति बनती है। कई गम्भीर दुर्घटनाएं भी घटित हुई है। जिनमें जनहानि हुई है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि खतरनाक पुलिया के नीचे समस्त प्रकार के भारी माल वाहनों व यात्री वाहनों का आवागमन निषेध किया जावे। इस हेतु दोनों ओर पुख्ता रेडियम संकेतक बोर्ड लगाये जावे व निर्णय की पालना हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) जोधपुर शहर को लिखा जावे बी.आर.टी.एस. बसों को जन सामान्य की सुविधा एवं उनकी ऊँचाई अपेक्षाकृत कम होने से पुल के नीचे संचालन को अनुमत किया जावे।

18. मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर पश्चिम रेल्वे, जोधपुर ने जरिये पत्र सूचित किया है कि मोहनपुरा पुलिया का Substructure भारी वाहनों के लिए सुरक्षित नहीं है, तथा मात्र हल्के वाहनों का आवागमन अधिकतम 15 किलोमीटर प्रतिघंटा से किया जा सकता है।

अतः मोहनपुरा पुलिया से भारी वाहनों का आवागमन निषेध किया जावे। इस हेतु पुलिया के दोनों ओर हाईट बेरियर व सूचना बोर्ड लगाये जावे। मोहनपुरा पुलिया पर हल्के वाहनों की अधिकतम गति सीमा 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित किये जाने हेतु जिला कलेक्टर महोदय को निवेदन किया जावे।

एजेण्डा आईटम संख्या 10	:	जोधपुर शहर में ऑटो टैक्सी, लोडिंग टैक्सी, सिटी बस इत्यादि वाहन सी.एन.जी. से चलाने जाने पर चर्चा।

विस्तृत विचार–विमर्श के दौरान अवगत करवाया कि शहर में सी.एन.जी. पम्प उपलब्ध नहीं है तथा वैकल्पिक रूप से एल.पी.जी. पम्प उपलब्ध है। शहर में ऑटो टैक्सी पेट्रोल एवं डीजल चलित है। पेट्रोल से चलित ऑटो में एल.पी.जी. लगाया जा सकता है लेकिन डीजल ऑटो में एल.पी.जी. अथवा सी.एन.जी. किट नहीं लगाया जा सकता है।

अतः निर्देश दिये गये कि शहर में 15 वर्ष से पुराने ऑटो रिक्शा को परिवहन विभाग तथा ट्राफिक पुलिस संयुक्त रूप से चैकिंग कर उन्हे बन्द करवाया जाये। ऑटो रिक्शा के रजिस्ट्रेशन हेतु केवल मात्र एल.पी.जी. वर्जन को ही इजाजत दी जाये। 6000 ऑटो को परमिट दिये गये है जबकि शहर में करीब 15000 चल रहे है जिनकी संयुक्त चैकिंग की जाकर निषेध किया जाये नये परमिट नहीं दिये जाये। पुराने 6,000 ऑटो मे नवीन रिप्लेस के

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

प्रकरणों में केवल एल.पी.जी. किट लगे ऑटो से ही रिप्लेस किया जावे। टैम्पो के 650 परमिट जारी किये हुए है जो अत्यधिक है भविष्य में नये परमिट नहीं दिये जाये।

एजेण्डा आईटम संख्या 11 :: रोड़वेज बस स्टेण्ड पावटा को अन्यत्र स्थानान्तरित/सुव्यवस्थित करने के संबंध में चर्चा।

विस्तृत विचार–विमर्श के दौरान अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी (सब्जी) पावटा ने अवगत करवाया कि भदवासिया स्थित मण्डी में थोक फल एवं आलु प्याज का व्यवसाय संचालित है वही पर पावटा थोक सब्जी मण्डी को स्थानान्तरित किया जा सकता है। इसके बदले रोड़वेज भदवासिया स्थित डिपो की भूमि मण्डी को हस्तान्तरित कर दे जिससे पावटा सर्कल पर ठेले एवं यातायात दबाव कम होगा साथ ही पावटा सब्जी मण्डी क्षेत्र रोड़वेज बस स्टैण्ड हेतु उपयोग में लिया जा सकता है।

एजेण्डा आईटम संख्या 12 :: सोलिड वेस्ट संग्रहण, परिवहन व निस्तारण की पुख्ता व्यवस्था के संबंध में चर्चा।

विचार विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय ने रीको क अधिकारी को निर्देशित किया कि बासनी में इण्डस्ट्रीयल वेस्ट डम्पिंग करने वाली इण्डस्ट्रीयल यूनिट पर नोटिस देकर वेस्ट तुरन्त हटाया जाये।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

कमांक/बैठक/10/7800-26 दिनांक :: 28 मई 2010

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
2. महापौर, नगर निगम, जोधपुर।
3. जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण), जोधपुर।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष/आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जोधपुर।
11. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर।
12. मुख्य नियत्रक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
13. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर।
14. निदेशक अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि/वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
15. उपायुक्त, पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, मुख्यालय/पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/विद्युत, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
17. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
18. उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

19. तहसीलदार, पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
20. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जोधपुर।
21. महाप्रबन्धक (प्रचालन) रा.रा.प.नि., जोधपुर।
22. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/जो.वि.वि.नि.लि., जोधपुर।
23. —

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

7800-26 28/5/10

197

परिशिष्ट–1

यातायात नियंत्रण बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 5 मई, 2010 में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

क.सं.	नाम अधिकारी मय पदनाम व विभाग
1.	श्री रामेश्वर दाधिच, महापौर, जोधपुर
2.	श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, चैयरमैन, फल व सब्जी मण्डी, जोधपुर
3.	श्री हरिप्रसाद पिपरलिया, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
4.	श्री जे.के. टाक, उपखण्ड अधिकारी (पूर्व), जोधपुर
5.	श्री जी.एल. शर्मा, निदेशक–अभियांत्रिक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6.	श्री आर.एल. दुकलिया, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7.	श्री नरेन्द्र कुमार दवे, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8.	श्री अमिताभ योगानन्दी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9.	श्री प्रदीप मोहन शर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर
10.	श्री एम.एल. धायल, अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
11.	श्री जितेन्द्र मेहता, अधीक्षण अभियन्ता, आर.एस.आर.डी.सी.लिमिटेड, जोधपुर
12.	श्री टी.सी. छाजेड, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर वृत, जोधपुर
13.	श्री के.सी. गौदानी, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर
14.	श्री आर.के. विश्नोई, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
15.	श्री जी.आर सांखला, अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
16.	श्री एस.एच. मावर, अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
17.	श्री डी.आर. गौड, अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18.	श्री देवकी नन्दन, सहायक अधिशाषी अभियन्ता, 45 सीमा सडक कृतिक बल, जोधपुर
19.	डॉ. आर. उदय कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, जोधपुर
20.	श्री पी.डी. पुरोहित, चीफ मैनेजर, रोडवेज, जोधपुर
21.	श्री मनीष अग्रवाल, अति. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
22.	श्री ओ.पी. पुरोहित, असिस्टेंट रीजनल मैनेजर, रीको, जोधपुर
23.	श्री ओ.पी. पुरी, सहायक क्षैत्रीय प्रबन्धक, रीको, जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor